न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 1488/2024

दीपचन्द पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी खींवासर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
– वादी

बनाम

1. जवाहरांराम पुत्र जयदेवाराम (फौत) के वारिस
   1/1. वेदकोर पुत्री स्व. जवाहराराम
   1/2. रामनिवास पुत्र स्व. जवाहराराम
   1/3. बुद्धराम पुत्र स्व. जवाहराराम
   निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा हाल आबाद खींवासर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
2. माली देवी पत्नी स्व. पोकरराम (फौत)
3. धर्मवीर पुत्र गणपत
4. मानसिंह पुत्र गणपत (फौत)
   (पूर्व से ही एक्स पार्टी हैं इसलिए न्यायालय ने कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने की छुट प्रदान की है।)
5. जयपाल पुत्र गणपत
6. रेवती पुत्री गणपत
7. सीता पुंत्री गणपत
8. विमला पुत्री गणपत
9. मुन्नी पुत्री गणपत
10. बरजी देवी पत्नी गणपत (फौत)
    वारिसान पहले से रिकॉर्ड पर 3 लगायत 9 है।
11. राजेश देवी पत्नी स्व. होशियार सिंह
12. अजय कुमार पुत्र स्व. होशियार सिंह
13. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. होशियार सिंह
14. सुभाष पुत्र गोकल
15. भागीरथ पुत्र गोकल
16. बोगी देवी पत्नी गोकल
17. मोहनलाल पुत्र सरदाराराम
18. बोगी उर्फ केशर पत्नी श्योकरण
19. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण
20. प्यारेलाल पुत्र भोमाराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण खींवासर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
21. समन्दर सिंह पुत्र छोटुसिंह
22. सवाईसिंह पुत्र छोटुसिंह
23. अमरसिंह पुत्र छोटुसिंह

समस्त जातिगण राजपुत निवासीगण खींवासर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
24. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा केड़ जरिये शाखा प्रबंधक।
25. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक।
26. उप पंजीयक कार्यालय गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
27. तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं राज्य राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

वकील वादी :— एडवोकेट विद्याधर जाखड
वकील प्रतिवादी:— प्र.वा.सं. 1 व 2 की ओर से हरलाल सैनी, प्र.वा.सं. 1/1 ल0 1/3 अरविन्द सैनी

<u>दावा बाबत इश्तकरारक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक 24/02/2024

संक्षेप में वादी द्वारा पेश संशोधित वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 23 की खातेदारी काश्त की भूमि ग्राम खींवासर की सरहद में खाता संख्या 68 में खसरा नम्बर 221 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है0 तथा खाता संख्या 236 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 451 रकबा 2.96 है0 तथा खाता संख्या 67 के अनतर्गत खसरा नम्बर 327 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 3.7410 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.6210 है0 भूमि स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 136 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 160/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 149/2 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 143/2 रकबा 0.03 है0, 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 294/2, 295/2 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा थे। जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 20 के पूर्वजों के नाम से दर्जशुदा चली आ रही थी। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 स्व0 मुंगाराम के वारिसान है। इस वाद में केवल स्व0 मुंगाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 के हिस्सा का ही विवाद है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। शेष खातेदारों व उनकी भूमि का कोई विवाद नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 स्व0 मुंगाराम के वारिसान है। स्वर्गिय मुंगाराम की वंशावली व सजरा वादपत्र की धारा संख्या 2 में वर्णित है। सजरे के अनुसार स्व. मूंगाराम के दो पुत्र संतान पैदा हुई। जो दोनों फौत हो चुके है। गणपत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 है तथा पोकरराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है। इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 काबिजकाश्त है। नकल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल दावे के साथ प्रस्तुत है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 स्व0 मुंगाराम के वारिसान है। वादी के पिता स्व0 पोकरराम का स्वर्गवास स्व0 मुंगाराम के जीवनकाल में ही हो गया था। जब पोकरराम का स्वर्गवास हुआ तब पोकरराम की पत्नी माली देवी व एक पुत्र वादी दीपचन्द थे परन्तु राजस्व रिकॉर्ड स्व. मुंगाराम के नाम होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी परन्तु जब सन् 1976 में स्व. मुंगाराम की मृत्यु हो गई और वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को किसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, केवल अपने हिस्सा की भूमि को बिना किसी बाधा के काश्त चले आ रहे थे। वादी उस वक्त पढ़ता था तथा उसके बाद नौकरी लग गया जो अक्सर बाहर रहता था, तो कभी भी राजस्व रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं कर सका। प्रतिवादी संख्या 1 जुहाराराम निवासी ओजटु जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की रिश्तेदारी में था जो बहुत ही चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति था जो अक्सर कोर्ट कचहरी में

सहायक कलेक्टर
झुंझुनूं (राज.)

आता–जाता रहता था तथा वादी के घर भी आना–जाना रहता था तथा वादी के घर भी आना–जाना रहता था। तब प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के बहकावे में आ गई और प्रतिवादी संख्या 1 के बहकावे में आ गई और अनावेदक संख्या 1 ने कहा आपकी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड स्व. मुंगाराम के नाम है। उसको आपके व आपके पुत्र वादी दीपचन्द के नाम करवा दूं। मेरी तहसील व पटवारियों से अच्छी जान–पहचान है। इस पर अनावेदक संख्या 1 ने तत्कालिन पटवारी हल्का वीरसिंह से सांठ–गांठ कर दिनांक 02.02.1977 को नामान्तरकरण संख्या 204 अपने नाम भरवा लिया तथा ग्राम पंचायत छऊ के सरपंच श्री खेमाराम से दिनांक 11.05.1977 को तस्दीक करवा दिया जबकि स्व. मुंगाराम के दो पुत्र गणपतराम व पोकरराम थे। पोकरराम की मृत्यु स्व0 मुंगाराम के जीवनकाल में हो गई थी। उसके स्थान पर अनावेदक संख्या 1 जुहाराराम ने जान–बुझकर पंटवारी हल्का व ग्राम सरपंच से मिलीभगत कर अपने आपको स्व. मुंगाराम का पुत्र बताकर नामान्तरकरण संख्या 204 भरवाया जबकि स्व. मुंगारामसे जुहाराराम का कोई संबंध नहीं था। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तरकरण आवेदक व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भरना चाहिए था। ऐसा नहीं करके पअवारहल हल्का ने बहुत भारी कानूनी भुल की है ऐसी हालत में उक्त नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 11.05.1977 को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा अनावेदक संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर अनावेदक संख्या 1 के स्थान पर आवेदक व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। ऐसी हालत में आवेदक के लिए यह दावा बाबत् इश्तकरारहक का पेश करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 149/2, 152 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 160/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 294/2, 295/2 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 249/2, 250, 251/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी स्व. मुंगाराम के नाम से संवत् 2031 से 2034 तक दर्जशुदा चली आ रही थी तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 149/2 रकबा 8 बिस्वा , खसरा नम्बर 136 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी में 1/2 हिस्सा स्व. मुंगाराम का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 20 के पूर्वजों गोकल, श्योला, सरदारा, श्योकरण, मोहरसिंह, प्यारेलाल वगैरह के नाम से दर्जशुदा चली आ रही थी। संवत् 2035 से 2043 तक सैटलमेन्ट चला। सैटलमेन्ट के दौरान सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने कई मृतक खातेदारों के नामान्तरकरण के आधार पर वारिसान का नाम खातेदारी में दर्ज किए तथा वादग्रस्त भूमि के तीन अलग–अलग खाते बनाकर दर्ज कर दिये। जो वर्तमान खाता संख्या 67 में वर्तमान खसरा नम्बर 327 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 3.7410 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.6210 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 10 का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चल रहा है तथा दुसरा खाता संख्या 68 में वर्तमान खसरा नम्बर 221 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 10 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 का हिस्सा 7/96 तथा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का हिस्सा 7/48 तथा प्रतिवादी संख्या 16 का हिस्सा 1/32 तथा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 16 के नाम 1/8 तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 व 19 का हिस्सा 1/60 प्रतिवादी संख्या 20 प्यारेलाल का हिस्सा 1/15 दर्ज कर दिया। इसी प्रकार तीसरा खाता संख्या 236 में वर्तमान खसरा नम्बर 451 रकबा 2.96 है0 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 23 का हिस्सा 9 बीघा 7 बीस्वा तथा प्रतिवादी संख्या 3

सहायक कलक्टर

लगायत 10 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 2 बीघा 7 बीस्वा दर्ज राजस्व रिकार्ड चला रहा आ रहा है। इस तरह वादग्रस्त भूमि को अलग–अलग खातो में विभक्त कर गलत दर्ज कर दिया गया परन्तु इस वाद में केवल स्व. मूंगाराम के हिस्सा तक ही विवाद हैं जिसके अनुसार संपूर्ण वादग्रस्त तीनों खातों में खाता संख्या 67 में दर्ज कुल रकबा 7.6210 हैक्टर संपूर्ण तथा खाता संख्या 68 में दर्ज कुल 1.81 है0 में 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 236 में दर्ज 2.96 है0 में 2 बीघा 7 बीस्वा भूमि स्व. मूंगाराम के दो पुत्र गणपतराम, पोकरमल हुए दोनों फौत हो चुके हैं। गणपतराम का 1/2 हिस्सा उसके वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 के नाम सही दर्ज हो गया लेकिन स्व. पोकरमल का 1/2 हिस्सा गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 204 के द्वारा दिनांक 11.05.1977 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया जबकि ततकालीन पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करना चाहिए था तथा सटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को भी विधिवत् जांच कर सही रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिए था क्योंकि स्व. मूंगाराम की भूमि में 1/2 हिस्सा स्व. पोकरमल का था जो उसके पुत्र वादी दीपचन्द व उसकी माता माली देवी प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम दर्ज करनी चाहिए थी। स्व. पोकरमल के हक हिस्सा की भूमि पर आज भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 जुहाराराम का स्व. मूंगाराम से कोई संबंध नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1 ने बेईमानी व छल से तत्कालीन पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत से मिलिभगत कर गलत रूप से अपने आपको स्व. मूंगाराम का पुत्र बताकर गलत नामान्तकरण संख्या 204 तस्दीक करवाया है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 को इस गलत राजस्व रिकॉर्ड से हक अधिकार प्राप्त होते है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में स्व. मूंगाराम की खातेदारी काश्त की भूमि का 1/2 हिस्सा का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा 1/2 हिस्से का जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 के नाम यथावत रखा जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जुहाराराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें हालांकि इस गलत राजस्व रिकॉर्ड से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जाकाश्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है परन्तु भविष्य मे चलकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारों पर कभी भी कुठाराघात हो सकता है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत इश्तकारारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादग्रस्त भूमि ख.नं. 327 रकबा 0.03 है., ख.नं. 328 रकबा 3.7410 है0, ख.नं. 397 रकबा 1.35 है0, ख.नं. 565 रकबा 2.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.6210 है0 वाके ग्राम खींवासर की सरहद में 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का है। जिसके खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की घोषित किया जोवं तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3,4,5,10 को जमाबन्दी अनुसार घोषित किया जावें। इसी प्रकार ख.नं. 221 रकबा 1.62 है0, ख.नं. 251 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है0 में 1/4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का है। जिसका खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित किया जावें तथा 1/4 हिस्स का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 3,4,5,10 को घोषित किया जावें। शेष हिस्सा जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम किया जावें। इसी प्रकार ख.नं. 451 रकबा 2.96 है0 भूमि में दर्ज 2 बीघा 7 बीस्वा में 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का है। जिसका खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का है। जिसका खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित किया जावे। तथा 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 को घोषित किया जावें। तीनो

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जुहाराराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत् काश्तकार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वादी ने संशोधित वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि दावा हाजा की डिक्री फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर नया 327 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 3.7410 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.6210 है0 वाके ग्राम खींवासर में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 10 का हिस्सा 1/2 यथावत् रखा जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें। भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम खींवासर में हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 10 व 15 लगायत 19 का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार यथावत् रखा जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 जुहाराराम का नाम जमाबन्दी से हटाया जावें। भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 2.96 है0 वाके ग्राम खींवासर की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 को खातेदार काश्तकार तथा 9 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 23 को घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5, 10 लगायत 27 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 27 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट हरलाल सिंह सैनी ने वकालतनामा व जबावदावा पेश किया। वकील वादी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपंठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जिसकी प्रति प्रतिवादी वकील को दी गई। प्रार्थना पत्र में बहस श्रवण उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपंठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार फरमाया गया। पत्रावली में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कायममुकाम व अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया गया जिस पर बहस श्रवण उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार फरमाया गया तथा वादी द्वारा संशोधित उनवान व संशोधित वादपत्र पेश किया गया जिसका विवरण उपरोक्तानुसार है। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 की ओर से एडवोकेट अरविन्द सैनी ने वकालतनामा पेश किया गया। जबावदेही पूर्ण होने पर मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया।

दिनांक 03.11.2025 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा मय हस्ताक्षरयुक्त पहचान पत्र दस्तावेज की प्रति पेश

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

किया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 तथा इनके अधिवक्तागण के आदेशिका पर हस्ताक्षर लिये गये।

जबाबदेही व राजीनामा पेश होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस राजीनामा श्रवण की गई व बगौर बहस मनन किया गया। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान एक ही परिवार के हैं, राजीनामा से अनावश्यक मुकदमेबाजी खत्म होती है, उपरोक्त आधार पर खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करते हुए, यह राजीनामा पेश किया गया है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में मुख्य विवाद पोकर की मृत्यु के बाद जवाहराराम के द्वारा खींवासर में आकर उक्त भूमि पर काश्त करने पर उत्पन्न हुआ था, इस तरह से प्रकरण में टाईटल में वर्णितानुसार भूमि खातेदारी में अंकित की जानी उचित व न्यायसंगत है। लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तदनुसार वाद निस्तारण किया जाना उचित व न्याायसंगत प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम खींवासर में स्थित भूमि भूमि खसरा नम्बर नया 327 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 3.7410 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.6210 है0 , भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 2.96 है0 वाके ग्राम खींवासर की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि में राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को निर्देशित किया जाता है कि वादी तथा प्रतिवादीगण से नियमानुसार पंजीयन शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करने के पश्चात् ही निर्णय की पालना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनूं, जिला झुंझुनूं

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 1488/2024 निर्णय दिनांक :

दीपचन्द बनाम जवाहराराम वगै0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विद्याधर जाखड तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 की ओर से एडवोकेट अरविन्द सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 24.02.26 को सुप्रिया सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर अंतिम डिक्री की जाती है कि राजस्व ग्राम खींवासर में स्थित भूमि भूमि खसरा नम्बर नया 327 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 3.7410 है0, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 7.6210 है0 , भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 1.62 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 2.96 है0 वाके ग्राम खींवासर की 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि में राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को निर्देशित किया जाता है कि वादी तथा प्रतिवादीगण से नियमानुसार पंजीयन शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा करने के पश्चात् ही निर्णय की पालना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.26. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	6	योग	

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)